

महाराष्ट्र राज्य सरकार
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
20 JUN 2016
पञ्चाङ्ग
राज्य

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

2
28/1/2016

FA4CA 29/01/16

आरसीई सं. 64/2016

नई दिल्ली, दिनांक: 15.06.2016

सं. ई(पीएण्डए)I-2012/एसपी-1/जन-1

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषय: पांचवे तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से अथवा उस तारीख, जब कोई व्यक्ति रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 1997 तथा 2008 के अन्तर्गत संशोधित वेतनमान में वेतन के आहरण का चयन करता है, से अपेन्डिक्स III अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को अर्हता वेतन की ग्राह्यता।

बोर्ड के दिनांक 09.10.1998 के पत्र सं. ई (पीएण्डए)I-98/एसपी-1/जन/1 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में अपेन्डिक्स-III अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए अर्हता वेतन की दरों में संशोधन किया गया था और उन्हें 01.08.1997 से ग्राह्य बनाया गया था। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में बोर्ड के दिनांक 30.04.2010 के पत्र सं. ई(पीएण्डए)I-2009/एसपी-1/जन.1 के माध्यम से इन दरों में संशोधन किया गया और उन्हें 01.09.2008 से ग्राह्य बनाया गया था।

2. एनएफआईआर (मद सं. 9/2012) तथा एआईआरएफ (मद सं. 8/2016) ने पीएनएम के मंच में पांचवे तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में अपेन्डिक्स III अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए अर्हता वेतन को पिछली तारीख से प्रदान किए जाने की मांग की थी।

3. बोर्ड कार्यालय में इस मुद्दे की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि पांचवे तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में अपेन्डिक्स III अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए अर्हता वेतन को बोर्ड के दिनांक 19.06.2012 के पत्र सं. ई(पीएण्डए)I-2012/एसपी-1/जन-1 और 12.09.2012 के पत्र सं. ई(पीएण्डए)I-2012/एसपी-1/जन-1 के माध्यम से अपेन्डिक्स-II अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के मामले की भांति ही ग्राह्य बनाए जाए। तदनुसार जैसाकि ऊपर पैरा-1 में उल्लेख किया गया है, संशोधित अर्हता वेतन निम्नलिखित तरीके से ग्राह्य होगा:-

क) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अपेन्डिक्स-III की अर्हता प्राप्त किसी कर्मचारी को अर्हता वेतन की संशोधित दर 01.08.1997 की बजाय उस तारीख से ग्राह्य होगी जिस तारीख से वह रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के अन्तर्गत संशोधित वेतनमान में वेतन के आहरण का चयन करता है।

ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अपेन्डिक्स III की अर्हता प्राप्त किसी कर्मचारी को अर्हता वेतन की संशोधित दर 01.09.2008 की बजाय उस तारीख से ग्राह्य होगी जिस तारीख से वह रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत संशोधित वेतनमान में वेतन के आहरण का चयन करता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक बार संशोधित वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंचने पर, अपेन्डिक्स III की अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में अर्हता वेतन की दर, में 25% की वृद्धि नहीं की जाएगी क्योंकि इसे वेतन के भाग के रूप में माना जा रहा है और इसे अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के मामले में वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जा रहा है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एस आर कनोजिया)
संयुक्त निदेशक/स्थापना(पीएण्डए)
रेलवे बोर्ड

16
R. B. N.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD)

RBE No. 64/2016.

New Delhi, dated 15.06.2016.

No. E(P&A)I-2012/SP-1/Genl-1

The General Managers,

All Indian Railways and Production Units.

NER, Gorakhpur

Sub: Admissibility of Qualification Pay to Appendix III qualified staff in the V and VI CPC from 01.01.1996 and 01.01.2006 or the date from which an individual elects to draw pay in the revised scale of pay under Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 and 2008.

The rates of Qualification Pay in respect of Appendix III qualified staff was revised in the V CPC period in terms of the instructions contained in Board's letter No. E(P&A)I-98/SP-1/Genl/1 dated 09.10.1998 and were admissible from 01.08.1997. In the VI CPC the rates were revised vide Board's letter No. E(P&A)I-2009/SP-1/Genl.1 dated 30.04.2010 and were admissible from 01.09.2008.

2. The NFIR (Item No. 9/2012) and AIRF (Item No. 8/2016) had raised a demand in the PNM Forum for antedating the date of effect for grant of Qualification Pay to Appendix III qualified staff in the V and VI CPC period.

3. The issue has been examined in Board's Office and it has been decided that Qualification Pay to Appendix III qualified staff in V and VI CPC period may be made admissible as it was done in the case of Appendix II qualified staff vide Board's letter No. E(P&A)I-2012/SP-1/Genl-1 dated 19.06.2012 and E(P&A)I-2012/SP-1/Genl-1 dated 12.09.2012. Accordingly, the revised Qualification Pay as indicated in para 1 above would be admissible in the following manner:-

(a) In the V CPC pay structure, the revised rate of Qualification Pay to Appendix III qualified staff would be admissible from the date an individual elects to draw pay in the revised scale of pay under Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, instead of 01.08.1997.

(b) In the VI CPC pay structure, the revised rate of Qualification Pay to Appendix III qualified staff would be admissible from the date an individual elects to draw pay in the revised scale of pay under Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, instead of 01.09.2008. It is also clarified that the rate of Qualification Pay in respect of Appendix III qualified staff would not increase by 25% every time the DA payable on revised pay scale goes up by 50% as it is being treated as part of pay and is being taken into account for the purpose of pay fixation on promotion to the next higher post.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(S.R. Kanaujia)
Joint Director/Estt. (P&A),
Railway Board.